पूंजी, श्रम और कानून

कैलकम फैक्ट्री में मजदूर संघर्ष

पीपुल्स यूनियन फॉर डैमोक्रैटिक राइट्स
दिल्ली
फरवरी 1995

इंद्रप्रस्थ कॉलेज के पीछे वीरान रिंग रोड पर चल रहे मज़दूरों के एक छोटे समूह के धरने की ओर वहाँ से गुज़रने वाले इक्के दुक्के लोगों के अलावा शायद ही किसी का ध्यान गया होगा। देश की राजधानी जहाँ धरने, राजनैतिक नेताओं की सत्ता लोलुपता का पर्याय बन चुके हैं, वहां क्या ये मुट्ठी भर मज़दूर धरने के जरिए अपने संघर्ष को अखबारों की सुर्खियां बना पाएंगे? पर इस टकराव का महत्व, मज़दूरों की इस छोटी संख्या से कहीं बड़ा है। पी॰ यू॰ डी॰ आर॰ के जांच दल ने पाया कि इस तनाव को जन्म देने वाली घटनाएं और सरकारी विभागों द्वारा तनाव को निपटाने के तरीके, औद्योगिक विवादों को सुलझाने के सरकार के प्रयासों और क्षमता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।

'कैलकम इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड' के प्रबंधकों और मज़दूरों के बीच अप्रैल 1994 में शुरू हुए तनाव ने आज इस प्रदर्शन का रूप ले लिया है। मुख्य रूप से फिलिप्स कॉरपोरेशन के लिए (लगभग 80 प्रतिशत) टेलिविजन बनाने वाली इस कम्पनी की कुल छः फैक्ट्रियों में लगभग 700 मज़दूर कार्यरत हैं, कम्पनी लगभग 100–125 करोड़ रुपये का सालाना कारोबार करती है। मज़दूरों में अधिकतर महिलाएं हैं, जिनकी उम्र 18 से 20 साल के बीच है। अप्रैल 1994 में कम्पनी की ओखला स्थित दो फैक्ट्रियों के मज़दूरों ने श्रम विभाग में अपनी शिकायत दर्ज करवाई कि उन्हें सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। मज़दूरी का भुगतान तो दूर रहा, उल्टे

प्रबंधकों ने मज़दूरों को धमकाना शुरू कर दिया। प्रशासन की ओर से भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई।

न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम 1948 के अनुसार उद्योगों में कार्यरत मजदूरों को कुशल, अकुशल और अर्धकुशल श्रेणियों के अंतर्गत अलग–अलग घोषित न्यूनतम मजदूरी दिए जाने का प्रावधान है। कैलकम इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के खिलाफ संघर्षरत मजदूरों में से अधिकतर 1991 में ऑपरेटर के बतौर नियुक्त किए गए थे। मजदूरों के अनुसार ऑपरेटर कुशल कर्मचारी का पद है परन्तु कानून द्वारा तय की गई कुशल कर्मचारी को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी उन्हें कभी नहीं दी गई। सन् 1994 में सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दरें संशोधित की गई, जिन्हें 15 फरवरी से लागू माना जाना था। ठीक उसी दिन प्रबंधकों ने सभी मजदूरों को चिट्ठियों द्वारा सूचित किया कि वे अब अकुशल मजदूरों की श्रेणी में आंएगे। 18 अप्रैल 94 को मजदूरों न इस मुद्दे को लेकर श्रम विभाग में अपनी शिकायत दर्ज करवाई।

प्रबंधकों का कहना है कि आपरेटर का काम अकुशल श्रेणी में आता है, इसलिए मजदूरों की शिकायत बेबुनियाद है। किन्तु यदि आगे की घटनाओं पर नज़र डालें तो प्रबंधकों की बात पर विशवास करना कठिन है। 25 अप्रैल को श्रम विभाग के एक इंसपैक्टर ने फैक्टरी का दौरा करने पर पाया कि मजदूरों को अकुशल मजदूरों जैसे 1382 रु. प्रति माह दिए जाते हैं जबकि वे कुशल मजदूरों की श्रेणी में आते हैं और 1806 रु. प्रतिमाह पाने के हकदार हैं । श्रम विभाग का यह फैसला प्रबंधकों के झूठ को ही साबित करता है।

6 सितम्बर 1994 को श्रम विभाग द्वारा, कानून की अवहेलना करने पर प्रबंधकों को एक चालान जारी किया गया। अक्तूबर से दिसम्बर के बीच प्रबंधकों को कम से कम सात बार सभी कागजात के साथ श्रम–विभाग कार्यालय में उपस्थित होने के आदेश दिए गए। 13 दिसम्बर को एक और चालान उनके खिलाफ जारी किया गया, इसका भी कोई असर न होने पर यह मामला लेबर कोर्ट को सौंप दिया गया जिसने अभी तक अपना फैसला नहीं सुनाया है।

न्यूनतम–मज़दूरी की माँग को लेकर आरंभ हुए इस संघर्ष ने 19 नवम्बर को एक नया मोड़ ले लिया। उस दिन, जब एक महिला–श्रमिक ने न्यूनतम मजदूरी के मुद्दे पर प्रबंधकों से बात करनी चाही तो उसे मार पीट कर व धमकी देकर, फैक्टरी के गेट से बाहर कर दिया गया। उसके साथ ही 100 से अधिक अन्य मजदूरों को भी फैक्टरी से बाहर निकाल दिया गया। इस प्रकार न्यूनतम–मजदूरी के मुद्दे के साथ–साथ अब कैलकम के श्रमिकों के संघर्ष का दूसरा कारण काम छिन जाना भी है।

मजदूरों ने 19 नवम्बर की घटना को लेकर तुरन्त एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। 28 नवम्बर को 'आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस' ने एक नोटिस भेजकर प्रबंधकों को बताया कि यदि 24 घण्टों के अन्दर श्रमिकों को काम पर वापिस नहीं लिया जाता तो फैक्टरी के गेट पर धरना शुरू किया जाएगा। प्रबंधकों के मना किये जाने पर इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई।

प्रबंधकों का कहना है कि मजदूरों को परिसर से बाहर नहीं निकाला गया था, वे स्वयं ही हड़ताल पर गए थे। जबकि 9 जनवरी 1995 को मजदूरों ने अपनी शिकायत श्रम विभाग में दर्ज करवाई थी जिसके बाद श्रम आयुक्त ने फैसला दिया कि "औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (धारा २५ एन, उपधारा ७, चैप्टर ५ बी) के अनुसार श्रमिकों को गैरकानूनी ढंग से बर्खास्त किया गया है।" इस प्रकार श्रम विभाग ने कैलकॉम को आदेश दिया कि 16 जनवरी तक सभी श्रमिकों को उनकी दिसम्बर माह की मजदूरी का भुगतान किया जाए। जिसे प्रबंधकों ने मानने से इंकार कर दिया।

इस आदेश को मनवाने के लिए श्रम विभाग ने 20 जनवरी को एक 'रिकवरी–आदेश' जारी किया जिस पर प्रबंधको ने उच्च न्यायालय से 'स्टे–आर्डर' ले लिया। उस मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को है।

इस प्रकार श्रमिक अब दो अलग मुद्दों (जिनका एक–दूसरे से सीधा संबंध है) को लेकर संघर्षरत है। एक तरफ 'न्यूनतम मजदूरी' की मांग का मुद्दा जिसका फैसला 'लेबर–कोर्ट को करना है तथा दूसरी ओर 'रिकवरी–आदेश' का मामला जो उच्च न्यायालय में अटका है। एक फरवरी की सुबह मजदूरों ने अपने धरने–प्रदर्शन का स्थान फैक्टरी के गेट से बदल के 'मुख्यमंत्री–निवास–स्थान' कर दिया और साथ ही 11 श्रमिक अनिश्चित कालीन भूख–हड़ताल पर बैठ गये।

इन दोनों मुद्दों को लेकर प्रबंधक व श्रम–विभाग अपनी सोच में बिलकुल साफ हैं व परस्पर विपरीत दिशाओं में खड़े हैं। 3 फरवरी को दिल्ली के श्रम–विभाग व मजदूरों के बीच हुई बैठक से भी कुछ नतीजा नहीं निकला। प्रबंधक इस बात पर अड़े रहे कि एक तो श्रमिकों को अकुशल श्रमिकों की मजदूरी पर ही वापिस काम पर लिया जा सकता है तथा 30 मज़दूरों (जो कि वर्तमान संघर्ष के अगुआ है) को वापिस काम पर नहीं लिया जाएगा। मजदूर इन दोनों ही शर्तों को मानने से इंकार करते हैं।

कैलकम व उसके मजदूरों के बीच पैदा हुए इस तनाव के कई पहलू हैं जिसमें पहला है, प्रबंधकों द्वारा श्रम–कानून का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन। श्रम विभाग की रपटों से यह स्पष्ट है कि कैलकम में मजदूरों को कभी भी उचित मजदूरी नहीं दी गयी और बार बार चेताने पर भी प्रबंधक कानून का उल्लघंन करते रहे। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सरकारी विभाग कानून लागू करवाने में पूरी तरह अक्षम रहे। दस महीनों के इस संघर्ष में चालान भेजने या सरकारी आदेश जारी किये जाने के अलावा श्रम–विभाग कुछ नहीं कर पाया। इस बीच श्रमिकों को उचित मजदूरी न देकर, प्रबंधक अनुचित मुनाफा कमाने में मशगूल हैं और श्रमिक अपने कानूनी हकों के लिए संघर्ष जारी रखे हुए हैं। कानून की किताबों और इनके असल में लागू होने की स्थिति के बीच की खाई के रहते, यह बिल्कुल अजीब नहीं है कि कैलकम के प्रबंधक श्रम विभाग के आदेशों को लगातार नजरअंदाज करते जा रहे हैं।

समकालीन समाज में औद्योगिक विवादों का होना आम बात है। किंतु सभी प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं यह स्वीकारती हैं कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व मालिकों के हाथों में होने के कारण, ऐसे विवादों में उनकी स्थिति मजदूरों की स्थिति से कहीं बेहतर होती है। यदि इन विवादों को खुद पर छोड़ दिया जाए, तो इसी बेहतर स्थिति के कारण, लगभग हमेशा मालिकों के ही जीतने की स्थिति बनती है। श्रम कानूनों के बनाए जाने के मूल में भी यही बात निहित है, कि इनके द्वारा मजदूरों को उचित संरक्षण मिले ताकि विवाद में दोनों पक्षों को बराबरी पर लाया जा सके। किन्तु यदि कानूनों को मजबूती से लागू न किया जाए तो इसका अर्थ है श्रमिकों को दूसरे पक्ष के खिलाफ अपने बूते पर छोड़ देना, ऐसे पक्ष के खिलाफ जो उनसे कहीं अधिक मजबूत है।

और इसी कारण वर्तमान विवाद चिंता का विषय है। मजदूर केवल उन्हीं मांगों के लिए आवाज उठा रहे हैं जिन पर पहले से ही उनका कानूनी हक है। श्रम विभाग की रपटों से यह बात और भी साफ हो जाती है। किंतु यदि कानूनों को लागू करवाने में सरकारी विभाग इतने अक्षम हैं तो भविष्य में उदारीकरण की नीति के चलते, जब और अधिक पूंजी बाजार में प्रवेश करेगी, मजदूर क्या आशाऐं रख सकते हैं? इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि श्रम और पूंजी के इस विवाद में यदि एक पक्ष ही सदैव हारता है तो प्रजातंत्र के लिए इसका क्या मतलब होगा?

प्रकाशक: सचिव, पीपुल्स यूनियन फॉर डैमोक्रैटिक राइट्स

प्रतियों के लिए: डा. सुदेश वैद, डी–2, स्टाफ क्वार्टर्स, आई. पी. कालेज
शामनाथ मार्ग, दिल्ली – 110054

सहयोग राशि: 1 रु